

केन्द्रीय विद्यालय संगठन

[शिक्षा मंत्रालय: भारत सरकार]
क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर
केन्द्रीय विद्यालय क्रमांक-2, रायपुर
कैम्पस
सेक्टर-8, दीनदयाल उपाध्याय नगर
रायपुर, छत्तीसगढ़-492010



Kendriya Vidyalaya Sangathan

[Ministry of Education, Govt. of India]

Regional Office, Raipur

Kendriya Vidyalaya No.2, Raipur Campus

Sec-IV, Dindayal Upadhyay Nagar

Raipur, Chhattisgarh-492010

Website: www.kvsraipur.org, E-mail:- dckvsrorpr@gmail.com, ackvsrorraipur@gmail.com, aokvsrorpr@gmail.com, fokvsrorpr@gmail.com

Tel : - 0771-2262912(DC) , 2262913 (AC),

फ. 32099 / 2021 / के.वि.सं.(सं.का.) / वरिष्ठ वेतनमान / आर.पी.आर. / 8100-8166 दिनांक: 08.03.2021

कार्यालय आदेश

केन्द्रीय विद्यालय संगठन क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर में आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति (DEPARTMENTAL PROMOTION COMMITTEE) की बैठक दिनांक 09.02.2021 की संस्तुति के आधार पर निम्नलिखित स्नातकोत्तर शिक्षक, प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक, प्राथमिक शिक्षक एवं अन्य शिक्षकों को वरिष्ठ वेतनमान शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी निर्देशानुसार वरिष्ठ वेतनमान में उनके नाम के सम्मुख कालम संख्या 06 में दर्शाये तिथि से इस शर्त के साथ स्वीकृत किया जाता है कि वे 12 वर्ष की नियमित सेवा समान पद पर पूर्ण कर लिया हो। यदि किसी कारण से जो भी हो वे वरिष्ठ वेतनमान के लिए अयोग्य पाए जाते हैं तो यह आदेश वापस होगा एवं वे इस मद से प्राप्त किए गए धनराशि को वापस करना सुनिश्चित करेंगे।

वरिष्ठ वेतनमान में एफ.आर.-22 (I) (ए) (2) में दिए प्रावधानों के अनुसार जो कि केन्द्रीय विद्यालय संगठन के कर्मचारियों के लिए लागू है, उनके वेतन का निर्धारण होगा। इसलिए उनके पास एक विकल्प होगा (i) कि वे नए वेतनमान में वरिष्ठ वेतनमान स्वीकृत दिनांक से वेतन निर्धारण चाहते हैं या (ii) वे नए वेतनमान में वेतन निर्धारण पुराने वेतनमान में वेतनवृद्धि के दिनांक से चाहते हैं। यदि व्यक्तिगत नए वेतनमान में वेतन निर्धारण पुराने वेतनवृद्धि के दिनांक से चाहने का विकल्प देते हैं, तो उनका वेतन उसी स्टेज पर यदि उपलब्ध है या अगला स्टेज पुराने वेतनमान में सामान्य वेतनवृद्धि देने के पश्चात् वरिष्ठ वेतनमान में निर्धारण किया जाएगा। इस विकल्प का प्रयोग करना होगा एवं उसे संबंधित प्राचार्य को इस आदेश के तिथि से एक महीने के अंदर प्रेषित करना होगा। इस संबंध में एक बार दिया गया विकल्प अन्तिम होगा। वरिष्ठ वेतनमान स्वीकृति का विवरण निम्नलिखित है :-

(क) विभागीय पदोन्नति समिति ने निम्न स्नातकोत्तर (पीजीटी) शिक्षकों को उनके पिछले 05 वर्षों का वार्षिक गोपनीय आख्या/वार्षिक कार्य निष्पादन निर्धारण रिपोर्ट के आधार पर वरिष्ठ वेतनमान (SENIOR SCALE) स्वीकृति करने के लिए उपयुक्त पाया है :-

स्नातकोत्तर शिक्षकों को वरिष्ठ वेतनमान-वेतन मैट्रिक्स लेवल-10 (Rs. 53100- Rs. 177500)						
स. क्रं.	शिक्षक का नाम	पदनाम	के.वि. जहाँ कार्यरत हैं	वर्तमान पद पर नियुक्ति की तिथि	वरिष्ठ वेतनमान स्वीकृत करने का दिनांक	टिप्पणी
1	अमित नाथ	स्नातकोत्तर शिक्षक (कंप्यूटर विज्ञान)	AMBIKAPUR	04.11.2008	04.11.2020	
2	रंजना सिंह	स्नातकोत्तर शिक्षक (जीव विज्ञान)	BAIKUNTHPUR	01.11.2008	01.11.2020	
3	श्रीमती तारा यादव	स्नातकोत्तर शिक्षक (कंप्यूटर विज्ञान)	BILASPUR	03.11.2008	03.11.2020	

4	गीतू	स्नातकोत्तर शिक्षक (जीव विज्ञान)	CISF, BHILAI	05.11.2008	05.11.2020	
5	घनश्याम पाण्डे	स्नातकोत्तर शिक्षक (गणित)	DONGARGARH	21.08.2008	21.08.2020	
6	स्वतंत्र कुमार राँय	स्नातकोत्तर शिक्षक (जीव विज्ञान)	DONGARGARH	30.10.2008	30.10.2020	
7	प्रतिभा भेले, पीजीटी	स्नातकोत्तर शिक्षक (कंप्यूटर विज्ञान)	DURG	27.10.2008	27.10.2020	
8	मनोज कुमार भारद्वाज	स्नातकोत्तर शिक्षक (वाणिज्य)	DURG	31.10.2008	31.10.2020	
9	जोगेन्द्र प्रधान	स्नातकोत्तर शिक्षक (जीव विज्ञान)	DURG	04.11.2008	04.11.2020	
10	योगेन्द्र कुमार तिवारी	स्नातकोत्तर शिक्षक (भौतिक)	DURG	31.10.2008	31.10.2020	
11	दिनेश कुमार पटले	स्नातकोत्तर शिक्षक (रसायन)	DURG	30.10.2008	30.10.2020	
12	नम्रता प्रसाद	स्नातकोत्तर शिक्षक (जीव विज्ञान)	JASHPUR	31.10.2008	31.10.2020	
13	लखन राम	स्नातकोत्तर शिक्षक (अर्थशास्त्र)	KORBA NO.II (NTPC)	09.10.2006	09.10.2018	
14	शुद्धनाथ प्रसाद	स्नातकोत्तर शिक्षक (अर्थशास्त्र)	KORBA NO.III (SECL KUSMUNDA)	22.04.2008	NOT GRANTED	Lack of APAR. Matter will be taken up in the next DPC
15	विनोद कुमार वर्मा	स्नातकोत्तर शिक्षक (रसायन)	KORBA NO.IV	01.11.2008	01.11.2020	
16	मीनाक्षी	स्नातकोत्तर शिक्षक (रसायन)	KORBA NO.IV	23.10.2008	23.10.2020	
17	हीमांसु शेखर त्रिपाठी	स्नातकोत्तर शिक्षक (भौतिक)	MAHASAMUND	04.11.2008	04.11.2020	
18	तपस्विनी पाणिग्रही	स्नातकोत्तर शिक्षक (गणित)	RAIGARH	21.10.2008	21.10.2020	
19	संजय कुमार साहा	स्नातकोत्तर शिक्षक (अर्थशास्त्र)	RAIGARH	24.10.2008	24.10.2020	
20	बी. आर. गजपाल	स्नातकोत्तर शिक्षक (भौतिक)	RAIPUR NO.1 (S- I)	01.09.2008	01.09.2020	
21	अमिताभ अधिकारी	स्नातकोत्तर शिक्षक (भौतिक)	RAIPUR NO.1 (S- II)	01.08.2007	01.08.2019	
22	अनीता दरफाडे	स्नातकोत्तर शिक्षक (वाणिज्य)	RAIPUR NO.1 (S- II)	04.11.2008	04.11.2020	
23	स्नेहलता शंखवार	स्नातकोत्तर शिक्षक (जीव विज्ञान)	RAJNANDGAON	21.04.2008	21.04.2020	

(ख) विभागीय पदोन्नति समिति ने निम्न प्रशिक्षित स्नातक शिक्षकों को उनके पिछले 05 वर्षों का वार्षिक गोपनीय आख्या/वार्षिक कार्य निष्पादन निर्धारण रिपोर्ट के आधार पर वरिष्ठ वेतनमान (SENIOR SCALE) स्वीकृति करने के लिए उपयुक्त पाया है :-

प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक को वरिष्ठ वेतनमान-वेतन मैट्रिक्स लेवल-8 (Rs. 47600 - Rs. 151100)					
स. क्र.	शिक्षक नाम	पदनाम	के.वि. जहाँ कार्यरत हैं	वर्तमान पद पर नियुक्ति की तिथि	वरिष्ठ वेतन मान स्वीकृत करने का दिनांक
1	हरीश चंद्र हरिजन	प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक (संस्कृत)	AMBIKAPUR	12.09.2008	12.09.2020
2	श्री ओम प्रकाश सोनी	प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक (गणित)	BILASPUR	14.11.2008	14.11.2020
3	वासुदेव कुशवाहा	प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक (संस्कृत)	DONGARGARH	14.11.2008	14.11.2020
4	गुरु प्रसाद पाण्डे	प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक (गणित)	DONGARGARH	03.12.2008	03.12.2020
5	राखी श्रीवास्तव	प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक (हिन्दी)	DURG	25.11.2008	25.11.2020
6	संगीता लूथर	प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक (सा.अध्ययन)	JANJGIR	28.05.2007	28.05.2019
7	जानेन्द्र कुमार	प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक (कार्यानुभव)	JASHPUR	05.12.2008	05.12.2020
8	अरुण कुमार	प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक (गणित)	KORBA NO.II (NTPC)	10.11.2008	10.11.2020
9	दिलबहाल मिंज	प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक (अंग्रेजी)	MANENDRAGARH	25.11.2008	25.11.2020
10	दीपक प्रधान	प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक (संस्कृत)	RAIPUR NO.2	14.11.2008 AS	14.11.2020
11	वंदिनी जौहरी	पुस्तकालयाध्यक्ष	JAGDALPUR	05.12.2008	05.12.2020
12	विमल मिंज	पुस्तकालयाध्यक्ष	JANJGIR	28.09.2007	28.09.2019

(ग) विभागीय पदोन्नति समिति ने निम्न प्राथमिक शिक्षकों को उनके पिछले 05 वर्षों का वार्षिक गोपनीय आख्या/वार्षिक कार्य निष्पादन निर्धारण रिपोर्ट के आधार पर वरिष्ठ वेतनमान (SENIOR SCALE) स्वीकृति करने के लिए उपयुक्त पाया है :-

प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक को वरिष्ठ वेतनमान-वेतन मैट्रिक्स लेवल-7 (Rs. 44900 - Rs. 142400)						
स. क्र.	शिक्षक नाम	पदनाम	के.वि. जहाँ कार्यरत हैं	वर्तमान पद पर नियुक्ति की तिथि	वरिष्ठ वेतन मान स्वीकृत करने का दिनांक	टिप्पणी
1	न डी रामटके	प्राथमिक शिक्षक (संगीत)	DONGARGARH	28.11.2008	28.11.2020	

2	लक्ष्मण कुमार कौशिक	प्राथमिक शिक्षक (संगीत)	KORBA NO.II (NTPC)	02.12.2008	02.12.2020	
3	प्रियंका साहू	प्राथमिक शिक्षक (संगीत)	RAIGARH	01.10.2007	01.10.2019	
4	पार्वती लता मुखर्जी	प्राथमिक शिक्षक	RAJNANDGAON	17.09.2007	02.01.2020	Joined on 19.05.2007, attended 2 nd Spell of In-Service Course from 23.12.2019 to 01.01.2020. Sr-Scale granted from the date of completion of 21 days Inservice course.
5	श्री शुभमय मुखर्जी	प्राथमिक शिक्षक (संगीत)	RAJNANDGAON	17.09.2007	NOT GRANTED	Will be taken up in the next DPC after regularization of absence.
6	श्रीमती अनुराग किंजल्क	प्राथमिक शिक्षक (संगीत)	RAJNANDGAON	17.09.2007	17.09.2019	

कुल - 23+12+6 = 41 प्रकरण

Law
08/03
(चंदना मंडल)
उपायुक्त

वितरण :-

1. संबंधित शिक्षकगण।
2. प्राचार्य संबंधित केन्द्रीय विद्यालय से अनुरोध है कि इस आदेश की पर्याप्त मात्रा में छायाप्रति करके उनके विद्यालय के संबंधित शैक्षिक कर्मचारियों को उचित पावती के साथ सौंप दें; कृपया संबंधित कर्मचारी की सेवा-पुस्तिका में आवश्यक प्रविष्टि करें तथा उसे अपने हस्ताक्षर व मोहर के साथ सत्यापित अवश्य करें और इस आदेश की एक प्रति कर्मचारी की व्यक्तिगत पंजिका में फाईल करें। संबंधित शैक्षिक कर्मचारी के वेतन का निर्धारण वित्त अधिकारी, केन्द्रीय विद्यालय संगठन, क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर द्वारा किया जाएगा। अतः वेतन निर्धारण के लिए संबंधित कर्मचारी की सेवा पुस्तिका मय वेतन निर्धारण का प्रस्ताव व विकल्प के साथ इस कार्यालय को भेजें। उपर्युक्त शैक्षिक कर्मचारियों के पास वरिष्ठ वेतनमान का लाभ पाने के लिए एक माह का समय होगा कि वे वरिष्ठ वेतनमान के तहत लाभ पाने के लिए वरिष्ठ वेतनमान स्वीकृत होने की तारीख अथवा वेतनवृद्धि प्राप्त होने के बाद के लिए अपना विकल्प दे सकते हैं। विद्यालय द्वारा प्रेषित सूचना के आधार पर शैक्षिक कर्मचारियों को वरिष्ठ वेतनमान स्वीकृत किया गया है, अतः उपर्युक्त आदेश से मिलान करें। अगर कोई विसंगति (If any absence/ Die-Non period/Debarment period/ currency of penalty etc.) पाई गई तो तुरंत इस कार्यालय को अवगत कराएं। वेतन निर्धारण के पश्चात् वेतन एवं भत्तों के बकाया का भुगतान करें। संबंधित शैक्षिक कर्मचारियों से इस आशय का एक घोषणा पत्र अवश्य प्राप्त कर लिया जाए कि वरिष्ठ वेतनमान स्वीकृत करने में किसी प्रकार की विसंगति भविष्य में पाई जाती है तो सक्षम अधिकारी के द्वारा उक्त आदेश को वापस लिया जाएगा।
3. वित्त अधिकारी, केन्द्रीय विद्यालय संगठन, क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. संयुक्त आयुक्त (प्रशासन), केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मु.) नई दिल्ली को सूचनार्थ।
5. उपायुक्त, क्षेत्रीय कार्यालय समस्त क्षेत्रीय कार्यालयों को सूचनार्थ प्रेषित।
6. समस्त प्राचार्य केविसं० क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर के अंतर्गत।
7. सभी मान्यता प्राप्त शैक्षिक एवं गैर-शैक्षिक संघों के सचिव एवं अध्यक्ष को सूचनार्थ प्रेषित।
8. गार्ड फाईल।